रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219661
CG-DL-E-29052020-219661

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1514] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8 , 1942
No. 1514] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

का.आ.1684(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.एस. थांगख्यू, न्यायाधीश, मेघालय उच्च न्यायालय, जिन्हें मेघालय के हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच.एन.एल.सी.) को विधिविरुद्ध संघ घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय निर्णय करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत एक संदर्भ भेजा गया था, की अध्यक्षता में गठित अधिकरण के आदेश को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:

[फा. सं. 11011/02/2019-एनई-V (पार्ट)]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

शिलांग

निम्नलिखित मामले में:

हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल ऑफ मेघालय

सुरक्षित: **08.05.2020**

निर्णय की तारीख: **14.05.2020**

उपस्थिति:

श्री आर. के. पांडेय, उप सचिव और श्री संतोष कुमार भार्गव, अनुभाग अधिकारी (एनई) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ श्री एस.सी. केयल, भारत के सहायक सोलिसिटर जनरल (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से)।

श्री साइरिल डिंगदोह,आईएएस, सचिव (राजनीति विभाग), श्री एस. वारजरी, एमसीएस, अवर सचिव (राजनीति विभाग), श्री एच. नोंगपलू, आईपीएस,अपर पुलिस उप महानिदेशक (एसबी/सीआईडी), मेघालय सरकार के साथ श्री अमित कुमार,मेघालय राज्य के महाधिवक्ता (वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से)

श्री अल्बर्ट डब्ल्यू. लेनोंग, एम.जे.एस., रजिस्ट्रार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

आदेश

श्री एच.एस. थांगख्यू,(न्यायाधीश) द्वारा :

1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 (1) के तहत दिनांक 16.11.2019 की अधिसूचना संख्या का. आ. 4132 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन कांउंसिल ऑफ मेघालय (संक्षेप में 'एचएनएलसी') को दिनांक 16.11.2019 से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधार पर 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित किया है कि एच.एन.एल.सी. ने (i) मेघालय राज्य में भारत से खासी और जैंतिया जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों को पृथक करने के अपने उद्देश्य की खुले रूप से घोषणा की है; (ii) अपने संगठन के लिए जबरन धन वसूली हेतु आम लोगों को डराना धमकाना जारी रखा है; (iii) जबरन धन वसूली और डराने-धमकाने के कृत्यों को अंजाम देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ संबंध बनाए हुए है; और (iv) अपने काडरों के आश्रय एवं प्रशिक्षण के प्रयोजन से बांग्लादेश में शिविर बनाए हुए है।

2. तत्पश्चात, भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 21.02.2020 की एक अन्य अधिसूचना संख्या का.आ. 797(अ.) जारी की गई थी जिसके द्वारा यह न्याय निर्णय करने के प्रयोजन से, कि एचएनएलसी को अधिनियम के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का पर्याप्त आधार है या नहीं, इस अधिकरण का गठन

किया गया। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त अधिसूचना से पहले भारत के राजपत्र (असाधारण) में पहले भी दिनांक 13.12.2019 को अधिसूचना संख्या का.आ. 4454(अ.) जारी की गई थी जिसके द्वारा इसी प्रयोजन के लिए अधिकरण का गठन किया गया था; हालांकि तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकरण से त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त करने को ध्यान में रखते हुए बाद में अब दिनांक 21.02.2020 को मौजूदा अधिसूचना जारी की गई। अब, इस संबंध में इस अधिकरण को दिनांक 26.02.2020 के पत्र द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसरण में एक संदर्भ प्राप्त हुआ है।

3. उक्त अधिसूचना के साथ, केंद्र सरकार ने एचएनएलसी के बारे में एक पृष्ठभूमि नोट भेजा है जिसमें एचएनएलसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों; इसकी "हिंसा के स्तर" तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूमिगत संगठनों के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। उक्त पृष्ठभूमि नोट के अनुसार, एचएनएलसी का गठन वर्ष 1995 में निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया:

 क. हन्नीवट्रेप लोगों (खासी और जैंतिया जनजातियों) को भारत सरकार के कथित अधिकारवादी शासन से मुक्त कराना;

 ख. खासी और मेघालय की अन्य जनजातियों की शोषण से सुरक्षा; और

 ग. उनकी मूल संस्कृति को बनाए रखना तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करना।

4. उक्त पृष्ठभूमि नोट के अनुसार एचएनएलसी द्वारा की जाने वाली हिंसा की स्थिति निम्न प्रकार है:-

 क. दिनांक 01.01.2019 और 31.07.2019 की अवधि के दौरान हिंसा की 4(चार) घटनाएं जिसमें 01(एक) नागरिक की मौत शामिल है;

 ख. उक्त अवधि के दौरान इसके काडरों के 16 (सोलह) लोगों की गिरफ्तारी;

 ग. उक्त अवधि के दौरान 4(चार) हथियारों की बरामदगी;

 घ. उक्त अवधि के दौरान उसके काडरों के 14(चौदह) लोगों का आत्मसमर्पण; और

 ङ. उक्त अवधि के दौरान 04(चार) लोगों का अपहरण किया गया है।

5. यह भी उल्लेख किया गया है कि एचएनएलसी, जैंतिया हिल्स के कोयला क्षेत्रों में जबरन धन वसूली कर रहा था और उसके काडरों द्वारा इन क्षेत्रों का उपयोग बांग्लादेश में सीमा-पार गतिविधियों हेतु पारगमन (ट्रांजिट) मार्ग के रूप में भी किया जा रहा था। एचएनएलसी के नेता, बॉबी मारविन, स्वयंभू कमांडर-इन-चीफ तथा सेनकुपार नोंगट्रा, स्वयंभू महा सचिव बांग्लादेश से अपनी गतिविधियों का प्रचालन जारी रखे हुए हैं। एचएनएलसी में लगभग 16(सोलह) काडरों के होने का अनुमान है जो इस समय बांग्लादेश के मोलवी बाजार जिले के कैंपों में रह रहे हैं। एचएनएलसी के पास 17(सत्रह) हथियारों (ए के सीरीज की राइफल-10, पिस्टल-7) होने का अनुमान है और वह पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही समूहों के साथ प्रचालन और प्रशिक्षण संबंध बनाए हुए हैं।

6. उपर्युक्त आधार पर, केंद्र सरकार की यह राय थी कि एचएनएलसी की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और एकता के लिए हानिकारक हैं और यदि इन पर तत्काल अंकुश तथा नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उक्त संगठन फिर से संगठित हो जाएगा और स्वयं को फिर से हथियारों से सुसज्जित कर लेगा, अपने काडर का विस्तार करेगा, अत्याधुनिक हथियार जुटाएगा, आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की हत्या करेगा तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को तेज करेगा।

7. प्राथमिक सुनवाई दिनांक 26.03.2020 को की गई और अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत एचएनएलसी को बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उसे विधिविरुद्ध संगम क्यों घोषित नहीं किया जाए। उक्त नोटिस को निम्नलिखित तरीके से एचएनएलसी को तामील कराने का निदेश दिया गया:

 क. उक्त संगम के कार्यालय (कार्यालयों), यदि कोई हो, के किसी विशेष भाग पर उक्त अधिसूचना की प्रति चिपकाकर;

 ख. उक्त संगम के मुख्य पदाधिकारियों, यदि कोई हो, को जब कभी संभव हो उक्त अधिसूचना की प्रति की तामील करके;

 ग. जिस क्षेत्र में उक्त संगम की गतिविधियां सामान्यत: चलाई जाती हैं उसमें उक्त अधिसूचना की विषय-वस्तु को ढोल पीटकर अथवा लाउडस्पीकर के द्वारा घोषणा करके;

 घ. आकाशवाणी के स्थानीय या निकटतम प्रसारण केंद्र से रेडियो पर उद्घोषणा करके;

 ड. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यायाधीशों) तथा संबंधित मुख्यालयों के उपायुक्तों के कार्यालय के सूचना पट पर उक्त अधिसूचना चिपकाकर; और

 च. अंग्रेजी के किसी राष्ट्रीय समाचार-पत्र और मेघालय राज्य में व्यापक प्रसार (सर्कूलेशन) वाले 2(दो) स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन के द्वारा।

8. केंद्र सरकार और मेघालय राज्य द्वारा तामील संबंधी हलफनामा दायर किया गया जिसमें एचएनएलसी को तामील करने के तौर-तरीकों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हलफनामें में यह कहा गया था कि एचएनएलसी छुपा हुआ है और इसके पास कोई निश्चित स्थल/कार्यालय नहीं है जहां से यह अपने संगठन को परिचालित/प्रचालित कर रहा है। नोटिसों की तामील, मेघालय राज्य में परिचालित समाचार-पत्रों अर्थात् दि इंडियन एक्सप्रेस, मवफोर तथा यू नोंगसेन हिमा में प्रकाशन द्वारा तथा आकाशवाणी के शिलांग स्टेशन और दूरदर्शन केंद्र, शिलांग के माध्यम से प्रसारण द्वारा की गई। नोटिसों को मेघालय राज्य के जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों तथा उपायुक्तों के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर भी प्रदर्शित किया गया है। संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और उपायुक्तों से प्राप्त रिपोर्टों को केंद्र सरकार तथा मेघालय राज्य के तामील संबंधी हलफनामे के साथ प्रस्तुत किया गया है।

9. तामील किए जाने के बावजूद, एचएनएलसी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए इस पर दिनांक 25.04.2020 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

10. मेघालय राज्य ने हलफनामे के माध्यम से निम्नलिखित गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए:

क. एसडब्ल्यू-1: श्री सायरिल वी.डी. डिएंग्दोह, आईएएस, सचिव (राजनीतिक विभाग), मेघालय सरकार;

ख. एसडब्ल्यू-2: श्री आदित्य गोयनका, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, शिलांग;

ग. एसडब्ल्यू-3: श्रीमती मतसियूवदोर वार नोंगबरि, आईएएस, उपायुक्त, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग;

घ. एसडब्ल्यू-4: श्रीमती सी.ए. लिंग्वा, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग;

ड. एसडब्ल्यू-5: श्रीमती रोसेटा मैरी कुरबाह, आईएएस, रि-भोई जिला नोंगपोह;

च. एसडब्ल्यू-6: श्री सी. सिरती, एमपीएस, पुलिस अधीक्षक, रि-भोई जिला, नोंगपोह;

छ. एसडब्ल्यू-7: श्री टी. लिंग्वा, आईएएस, उपायुक्त, पश्चिमी खासी हिल्स जिला, नोंगस्टोइन;

ज. एसडब्ल्यू-8: श्री बी.जे. लालू, एमपीएस, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी खासी हिल्स जिला, नोंगस्टोइन;

झ. एसडब्ल्यू-9: श्री गारोड एल.एस.एन. डाइकेस, आईएएस, उपायुक्त, पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिला, जोवई;

ञ. एसडब्ल्यू-10: श्री लाकाडोर सिएम, एमपीएस, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिला, जोवई;

ट. एसडब्ल्यू-11: श्री फेड्रिक एम. डोप्थ, आईएएस, उपायुक्त, पूर्वी जैंतिया हिल्स जिला, खेलीहरियात; और

ठ. एसडब्ल्यू-12: श्री विवेकानन्द सिंह, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी जैंतिया हिल्स जिला, खेलीहरियात।

11. इसी प्रकार केंद्र सरकार ने हलफनामे के माध्यम से सीडब्ल्यू-1, श्री राजकुमार पांडेय, उप-सचिव (एनई), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ बलॉक, नई दिल्ली का साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

12. हलफनामे के द्वारा उपर्युक्त गवाहों के बयान को चुनौती नहीं दी गई है क्योंकि गवाहों से जिरह करने के लिए एचएनएलसी की ओर से कोई आगे नहीं आया।

13. रिकॉर्ड पर साक्ष्य की व्यापकता और दोहराव को सीमित करने के लिए सुसंगत गवाहों द्वारा यथा-प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रदर्शों सहित सभी तथ्यात्मक पहलुओं की विस्तारपूर्वक चर्चा को इन परिस्थितियों में आवश्यक नहीं समझा गया है और इसलिए, इसके बाद, केवल सुसंगत साक्ष्य की रूपरेखा पर ही चर्चा की गई है।

14. एसडब्ल्यू-1, श्री सायरिल वी. डिंगदोह, आईएएस, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एचएनएलसी ने दिनांक 16.11.2015 से आज की तारीख तक की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और आम जनता पर कई हिंसक हमले किए हैं। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि एचएनएलसी ने संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जबरन धन वसूली संबंधी अपने क्रियाकलाप जारी रखे हैं और उक्त अवधि के दौरान कई अन्य अवैध क्रियाकलाप किए। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह लगातार हिंसा भड़का रहा है, अलगाववादी-दुष्प्रचार, सांप्रदायिक वैमनस्यता और आम जनता के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। इस संबंध में, **एसडब्ल्यू-1** ने निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत कुल मिलाकर 68(अड़सठ) महत्वपूर्ण प्रदर्श प्रस्तुत किए हैं और उन पर विश्वास किया है:- (i) फेसबुक पोस्ट; (ii)समाचार-पत्र की कतरन; और (iii) एचएनएलसी और इसके काडर के विरुद्ध दर्ज की गई अलग-अलग शिकायतें/प्राथमिकियां।

14.1 निम्नलिखित इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए **एसडब्ल्यू-1** ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख के अंतर्गत एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया है और इसे रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।

14.1.1 एचएनएलसी के किसी श्री वाटबोर नोनग्रुम उर्फ सेनकुपार नोंगट्रा, स्वयंभू महासचिव तथा प्रचार सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 28.06.2015 (प्रदर्श11) की एक फेसबुक पोस्ट में एचएनएलसी ने माननीय मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए बंद आदि के आह्वान पर प्रतिबंध लगाने वाले

आदेशों की खुलेआम अवमानना की है और इसे लोगों के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के लिए पुलिस का षड्यंत्र कहा;

14.1.2 प्रदर्श. 13 दिनांक 11.08.2015 की एक अन्य फेसबुक पोस्ट है जिसमें एचएनएलसी ने अन्य हथियारबंद आतंकवादी संगठनों अर्थात यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, कोर्डिनेशन कमेटी और गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ अपने संबंध और साझे एजेंडे को खुलेआम स्वीकार किया और इन आतंकवादी संगठनों के साथ एकजुटता संबंधी वक्तव्य जारी किया तथा आम जनता को धमकाया कि वे कोई भी राष्ट्रीय त्योहार नहीं मनाएं तथा भारत, जिसे 'साझा दुश्मन' बताया गया, के विरुद्ध उनकी लड़ाई में आतंकवादी संगठन के साथ एकजुटता दिखाएं।

14.1.3 प्रदर्श 16, प्रदर्श 17 और प्रदर्श 18 दिनांक 18.11.2015 की फेसबुक पोस्ट हैं जिनमें एचएनएलसी ने क्रमश: सूचित किया कि उसका महासचिव बांग्लादेश में नहीं है, कि उसने अपने भर्ती अभियान के बारे में सूचना दी और अंत में दिनांक 14.11.2015 को थेम मावबाह में हुए आरडीएक्स बम धमाके के हमले की जिम्मेदारी ली; और

14.1.4 दिनांक 16.05.2016 की एक अन्य फेसबुक पोस्ट (**प्रदर्श. 23**) में एचएनएलसी ने माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को खुलेआम धमकी दी।

14.2 इसके अलावा, **एसडब्ल्यू-1** ने एचएनएलसी द्वारा जारी की गई कुछ निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्तियां भी प्रदर्शित की हैं।

14.2.1 यह प्रत्येक राष्ट्रीय दिवस समारोहों अर्थात गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंद एवं असहयोग का आह्वान करता रहा है तथा एचएनएलसी के ऐसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप प्रदर्श. 39 (कोली) के रूप में प्रदर्शित समाचार-पत्र की कतरनों से स्पष्ट हुए हैं।

14.2.2 दिनांक 19.11.2015 और दिनांक 05.03.2016 [प्रदर्श. 41 (कोली)] की अवधि के विभिन्न समाचार-पत्रों की करतन में एचएनएलसी नागरिकों से जबरन धन वसूली तथा लूटपाट, धन एकत्र करने जैसे सभी प्रकार के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त रहा था;

14.2.3 प्रदर्श. 45 दिनांक 14.02.2018 के समाचार-पत्र की कतरन है जिसमें एचएनएलसी के दावकी में ग्रेनेड हमले द्वारा धमाका करने की खबर है; और

14.2.4 दिनांक 18.05.2019 और दिनांक 15.08.2019 [प्रदर्श. 47 (कोली)] की अवधि के समाचार-पत्र की कतरनों से पता चला कि एचएनएलसी ने मेघालय की सभी गैर-जनजातियों को राज्य छोड़ने या नरसंहार और सामूहिक रक्तपात का सामना करने की धमकी दी।

14.3 इसके अलावा, **एसडब्ल्यू-1** ने निम्नलिखित प्राथमिकियां, केस डायरियां तथा आरोप-पत्र प्रदर्शित किए हैं जिनमें एचएनएलसी द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा दिया गया है:-

14.3.1 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 ("यूपी (पी) अधिनियम") (प्रदर्श. 54) की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता ("आईपीसी") की धारा 384/34 के अंतर्गत मावलाई पुलिस थाना में दर्ज मामला सं. 51(5) 2015 के संबंध में जांच अधिकारी ने हलफनामे के साथ दिनांक 08.07.2016 की केस डायरी की प्रति संलग्न की है। उक्त प्राथमिकी मावलाई पुलिस थाने में दर्ज की गई थी जिसमें एक जमीनी कार्यकर्ता, जिसे धन एकत्र करने के लिए भेजा गया था, सहित एचएनएलसी काडर को गिरफ्तार किया गया;

14.3.2 प्रदर्श. 55 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 ("ईएस अधिनियम") की धारा 5 और मेघालय लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम ("एमएमपीओ अधिनियम") की धारा 6(क) के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121क/384 के अंतर्गत नोंगपोह पुलिस थाना में दर्ज मामला सं. 128(5) 2014 की

प्राथमिकी की एक प्रति है। दर्ज की गई उक्त प्राथमिकी में रि-भोई जिले से 2(दो) एचएनएलसी काडरों को गिरफ्तार किए जाने तथा उनके पास से हथियारों, मांग पत्रों और गन पाउडर की बरामदगी का संदर्भ है; और

14.3.3 एचएनएलसी के 2(दो) काडरों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 385 के अंतर्गत अम्लारेम पुलिस थाना में दर्ज मामला सं. 4(2) 2016 के संबंध में वार जेंतिया से गिरफ्तार किया गया और दिनांक 08.11.2016 का आरोप पत्र सं. 12/2016 दायर किया गया (प्रदर्श. 59)।

15. **एसडब्ल्यू-2** श्री आदित्य गोयनका, आईपीएस ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एचएनएलसी अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है तथा उन्होंने इसके कुछ अवैध क्रियाकलापों का ब्यौरा दिया है। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि एचएनएलसी के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता, एकता और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

15.1 **प्रदर्श एसडब्ल्यू-2/1** सीआईडी पुलिस थाना प्रभारी द्वारा प्राप्त की गई दिनांक 03.03.2020 के लिखित इजहार की एक प्रति है जिसमें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 153क/188/505(2)/120ख के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज वेबसाइट 'दि नॉर्थ ईस्ट नाव' के विरुद्ध श्री सेनकुपार नोंगट्राव, एचएनएलसी का स्वयंभू महासचिव और प्रचार सचिव का हिंदू-बंगाली समुदाय के लोगों को इच्छामति छोड़ने की अंतिम चेतावनी देने वाला न्यूज बुलेटिन अपलोड करने के लिए मामला दर्ज किया गया; और

15.2 सीआईडी पुलिस थाना में दिनांक 15.06.2018 का एक और लिखित इजहार प्राप्त हुआ जिसमें आईपीसी की धारा 153/153क/505/506/507 के अंतर्गत इस बारे में एक मामला दर्ज किया गया कि दिनांक 02.06.2018 को श्री सेनकुपार नोंगट्रा, एचएनएलसी का स्वयंभू महासचिव और प्रचार सचिव ने हरिजनों द्वारा स्थानीय युवाओं पर हमला करने और तत्पश्चात् शिलांग शहर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाए जाने (**ईएक्सटी. एसडब्ल्यू-2/2)** से संबंधित फेसबुक पोस्ट डाली थी

16. **एसडब्ल्यू-3**, श्रीमती मतसियूवदोर वार नोंगबरि, आईएएस ने अभिसाक्ष्य दिया कि वर्ष 2014 में एचएनएलसी को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पिछले आदेश के बावजूद उनके गैर-कानूनी और घृणित क्रियाकलाप अनवरत जारी हैं। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि एचएनएलसी शिलांग में व्यावसायिक समुदाय आदि को मांग पत्र भेजकर धन जुटाने में लगा हुआ है।

17. **एसडब्ल्यू-4**, श्रीमती सी.ए. लिंग्वा, आईपीएस का अभिसाक्ष्य **एसडब्ल्यू-2** के बयान के जैसा ही है। उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों को भी प्रमाणित किया है और कुछ सुसंगत दस्तावेजों को यहां संदर्भ हेतु पुन: प्रस्तुत किया है।

17.1 **प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/1,**विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) की धारा 384/34 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 51 (5) 2015 की एक प्रति है जिसमें एच.एन.एल.सी. के 2 (दो) सदस्यों अर्थात श्री जॉन फिशल लिंगखोई और श्री रेस्किन फावा को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वे शहर में जबरन धन वसूली कर रहे थे।

17.2 **प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/2,** ईएस अधिनियम की धारा 5 और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 427/120ख/121 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 113 (11) 2015 की एक प्रति है जिसमें एच.एन.एल.सी. के सदस्यों ने जीवन रॉय गोयनका अस्पताल, झलपूरा, शिलांग के निकट कन्टोनमेंट पार्किंग के पीछे क्रूड बम रखा और उसका विस्फोट कराया जिसके परिणामस्वरूप रजिस्ट्रेशन नं. एमएल 05-के-5167 और एम एल 02-0025 वाले वाहन अंशत: क्षतिग्रस्त हो गए थे; तथा

17.3 एक दूसरे मामले में दिनांक 13.05.2016 को गुप्त सूचना मिलने पर 3 (तीन) व्यक्तियों, जिनमें 1 (एक) उल्फा काडर और 2 (दो) एच.एन.एल.सी. के शामिल थे, से डिटोनेटर्स, जिंदा करतूसों, पिस्टल और ए.के. 56 सहित कई हथियारों और गोलाबारूदों को बरामद किया गया था। इस संबंध में, **प्रदर्श एस डब्ल्यू-4/3** और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 25 (1ख)/27 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 12 (05) 2016 की एक प्रति है।

18. **एसडब्ल्यू- 5**, श्रीमती रोसेटा मैरी कुरबाह, आईएएस ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एच.एन.एल.सी. ने सरकार के सामने पूरी तरह आत्म समर्पण नहीं किया है और वे नया समूह बनाकर स्थानीय युवकों को भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सूचना के आधार पर अभिसाक्ष्य दिया कि एच.एन.एल.सी. ने दिनांक 09.05.2015 को पूर्व विधायक (एम.एल.ए.), डॉ. सेलेस्टाइन लिंगदोह को 2,00,000 (दो लाख रु. मात्र) का डिमांड नोट तामील किया और आईपीसी की धारा 384/511 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि 2 (दो) एच.एन.एल.सी. काडरों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1क)/(1ख) (क) और एमएमपीओ अधिनियम की धारा 6क के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/ 121क/384 के अंतर्गत नांगपोह मामला संख्या 128(5) 2015 के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उनसे कई हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किए गए थे।

19. **एस डब्ल्यू-6,** श्री सी. सिरती, एमपीएस ने **एस डब्ल्यू-5** की तर्ज पर अभिसाक्ष्य दिया है और निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं।

19.1 **प्रदर्श एस डब्ल्यू-6/1,** आईपीसी की धारा 384/511 के अंतर्गत एक आपराधिक मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी द्वारा रख-रखाव की गई डायरी की प्रति है। इस मामले में दिनांक 09.05.2015 को डॉ. सेलेस्टाइन लिंगदोह, पूर्व विधायक (एम.एल.ए. को एच.एन.एल.सी. से 2,00,000 (दो लाख रु. मात्र) का डिमांड नोट प्राप्त हुआ था।

19.2 **प्रदर्श एस डब्ल्यू-6/2,** विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1क)/(1ख) (क) की धारा 25, ईएस अधिनियम की धारा 5 आर एमएमपी ओ अधिनियम की धारा 6क के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121 क/384 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 128(5) 2015 की एक प्रति है जिसमें एच.एन.एल.सी. के 2 (दो) काडरों अर्थात श्री खावबोक मरबनियांग और श्री बेइनिस थाबाह को गिरफ्तार किया गया था तथा उनसे कई हथियार एवं गोलाबारूद 1 (एक) बोर गन, 12 (बारह) बोर गोलाबारूद, गन पाउडर, 1 (एक) एच.एन.एल.सी. डिमांड नोट तथा पिलेट्स) बरामद किए गए थे।

20. **एस डब्ल्यू-7,** श्री टी. लिंगवा, आईएएस ने अभिसाक्ष्य दिया कि एच.एन.एल.सी. काडर अभी भी भारी मात्रा में अवैध हथियारों एवं गोलाबारूदों का प्रापण करने एवं अवैध तरीके से निधियां संग्रह करने के कार्य में लिप्त हैं।

21. **एस डब्ल्यू-8,** श्री बी.जे. लालू, एमपीएस ने कतिपय दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं जिनमें एच.एन.एल.सी. द्वारा किए जा रहे राष्ट्र विरोधी और विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया था जो इस प्रकार हैं :

21.1 **प्रदर्श एस डब्ल्यू-8/1** विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121क के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 01 (01)/18 की एक प्रति है जिसमें लैतदोम गांव, मारियांग के श्री सैमुएल वाहलांग पाशिनटिव एच.एन.एल.सी. के नाम से मरियांग के व्यवसायियों से धनराशि की मांग कर रहे हैं; तथा

21.2 **प्रदर्श एस डब्ल्यू-8/2,** ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 447/435 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 5 (02) 2020 की एक प्रति है जिसमें प्यांगडेग डियांगजलोंग, शलांग में कोक फैक्टरी के परिसर में दिनांक 20.02.2020 को आईईडी विस्फोट किया गया था।

22. **एस डब्ल्यू-9,** श्री गरोद एलएसएन डेक्स, आईएएस ने अभिसाक्ष्य दिया कि यद्यपि मुख्यत: भय के कारण स्थानीय लोगों की आगे आकर शिकायत करने के प्रति अनिच्छा सहित विभिन्न कारणों से मामलों को दर्ज नहीं कराया गया है, तथापि, यह नहीं कहा जा सकता है कि एच.एन.एल.सी. स्वयं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि एच.एन.एल.सी. पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में सक्रिय था और जबरन धन वसूली, डराने-धमकाने और अपहरण क्रियाकलापों में लिप्त था।

23. **एस डब्ल्यू-10,** श्री लकादोर स्याम, एमपीएस, ने कतिपय दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं जिनमें एच.एन.एल.सी. द्वारा किए जा रहे सिविलियनों से बड़ी धनराशि की मांग करने संबंधी कार्य सहित राष्ट्र विरोधी और गैर-कानूनी क्रियाकलापों का उल्लेख है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है।

23.1 **प्रदर्श एस डब्ल्यू -10/1** ईएस अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 4(2)/18 की एक प्रति है जिसमें दिनांक 11.02.2018 को एच.एन.एल.सी. द्वारा कराए गए विस्फोट के कारण सूचना देने वाले व्यक्ति का दावकी स्थित घर अंशत: क्षतिग्रस्त हुआ; तथा

23.2 **प्रदर्श एस डब्ल्यू -10/2,** आईपीसी की धारा 386/34 के अंतर्गत एक मामले से संबंधित आरोप पत्र 155/16 की एक प्रति है जिसमें 2 (दो) व्यक्तियों अर्थात श्री सोलोमॉन रिम्बई और श्री क्रेफी सूचियांग को सूचना देने वाले व्यक्ति से दुलांग, जोवई में जबरन धन वसूलते समय रंगे हाथ पकड़ा गया था।

24. **एस डब्ल्यू -11,** श्री फ्रेडरिक एम डोप्थ, आईएएस ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एच.एन.एल.सी. मेघालय राज्य में पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में अपने विधिविरुद्ध, घृणित और समाज विरोधी क्रियाकलापों को सक्रिय रूप से प्रचालित करता रहा था। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि उनकी सूचना के आधार पर एक एच.एन.एल.सी. काडर को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और ईएस अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित आई पी सी की धारा 387 के अंतर्गत खलीहरियात मामला संख्या 254 (6) 2015 के संबंध में गिरफ्तार किया गया। साथ ही, उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 18.06.2016 को 4 (चार) लड़कों, सभी लगभग 17 (सत्रह) वर्ष के, एच.एन.एल.सी. द्वारा व्यपहरण किया गया था और इस संबंध में आईपीसी की धारा 120ख/121/121क/387/506/34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/11/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120 ख/121/361/34 के अंतर्गत दूसरा मामला एक घटना के संबंध में दर्ज किया गया था जहां सुत्नगा वेलांग गांव के श्री सेल्फ डेनियल लिंगदोह, को एचएलएनसी ने 10,00,000 (दस लाख रु.) का डिमांड नोट दिया था।

25. **एस डब्ल्यू -12,** श्री विवेकानंद सिंह, आईपीएस, ने **एस डब्ल्यू -11** की तर्ज पर ही अभिसाक्ष्य दिया है और निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि आईपीसी की धारा 120ख/121/361/34 के अंतर्गत 4 (चार) लड़कों, सभी लगभग 17 (सत्रह) वर्ष की आयु के, का जून, 2016 में एच.एन.एल.सी. द्वारा अपहरण के संबंध में मामला दर्ज किया गया।

25.1 **प्रदर्श एस डब्ल्यू -12/1,** विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 और ई एस अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित आईपीसी की धारा 387 के अंतर्गत आरोप पत्र सं. 254 (6) 2015 की एक प्रति है जिसमें एच.एन.एल.सी. के एक काडर, श्री जूनेल टांगपर को पकड़ा गया और उसके पास से बांग्लादेश और भारतीय मेक के 3 (तीन) सिम कार्ड बरामद किए गए। **एस डब्ल्यू-12** ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि पूछताछ के दौरान उक्त एच.एन.एल.सी. काडर उनको भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक जंगल में ले गया जहां से 2 (हैंड) ग्रिनेड तथा डिमांड नोट्स बरामद किए गए; तथा

25.2 **प्रदर्श एस डब्ल्यू -12/2,** विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/11/13 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120ख/121/121क/387/506/34 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 191 (12) 2019 की एक प्रति है जिसमें सुत्नगा वेलांग गांव के श्री सेल्फ डेनियल लिंगदोह को एच.एन.एल.सी. ने 10,00,000 (दस लाख रु.) का डिमांड नोट दिया था।

26. **सी डब्ल्यू -1,** श्री राज कुमार पांडेय, उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अभिसाक्ष्य दिया है कि एच.एन.एल.सी. के शीर्ष नेता बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि जनवरी 2014 से यह गुट हिंसा की 4 (चार) घटनाओं में लिप्त रहा है। इस अवधि के दौरान एच.एन.एल.सी. के 16 (सोलह) काडरों को गिरफ्तार किया गया है, 4 (चार) हथियार बरामद किए गए, इसके 14 (चौदह) काडरों ने आत्म समर्पण किया है। 4 (चार) व्यक्तियों का इसने अपहरण किया और 01 (एक) सिविलियन की हत्या की गई है। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि एच.एन.एल.सी. और इसके कार्यकर्ता अभी भी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त हैं जिनके लिए संगठन को पूर्व में प्रतिबंधित किया गया था तथा एच.एन.एल.सी. के क्रियाकलाप देश की शांति और आंतरिक सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। यदि सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना में परिकल्पित अवधि के लिए प्रस्तावित प्रतिबंध की पुष्टि नहीं करती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि एच.एन.एल.सी. अपने पृथकतावादी, विघटनकारी, आतंकवादी तथा हिंसक क्रियाकलापों के दायरे का विस्तार कर लेगा। उन्होंने दिनांक 16.11.2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4132 (असाधारण) को सीडब्ल्यू-1/ख के रूप में प्रमाणित किया है और साथ ही यह प्रार्थना की है कि इसकी पुष्टि की जाए।

27. केन्द्रीय सरकार तथा मेघालय सरकार की ओर से गवाहों से जिरह नहीं किया गया है क्योंकि एच.एन.एल.सी. एकपक्षीय रहा है। अत: केन्द्रीय सरकार तथा मेघालय राज्य द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है और उसको चुनौती नहीं दी गई है ।

28. मैंने भारत संघ की ओर से विद्वान सहायक सोलिसिटर जनरल, मेघालय राज्य की ओर से विद्वान महाधिवक्ता और साथ ही अधिकारियों को सुन लिया है जिन्होंने एकमत से यह प्रार्थना की है कि दिनांक 16.11.2019 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए एच.एन.एल.सी. को प्रतिबंधित करने हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 16.11.2019 की अधिसूचना की पुष्टि की जाए। मैंने रिकॉर्ड पर प्रस्तुत और प्रमाणित संपूर्ण सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है।

29. केन्द्रीय सरकार तथा मेघालय राज्य द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और अधिकरण के समक्ष रखी गई, प्रमाणित की गई और प्रस्तुत की गई सामग्री से यह तथ्य स्थापित हो गया है कि एच.एन.एल.सी. एक ऐसा संगठन है जो भारत के बाहर हन्नीवट्रैप लोगों के लिए एक पृथक या स्वतंत्र राष्ट्र हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए यह हिंसक कृत्यों एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के जरिए इस उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है।

30. एच.एन.एल.सी. गुप्त रूप से प्रशिक्षण दे रहा है, जबरन धन वसूली के माध्यम से और डरा-धमकाकर धनराशि जुटा रहा है। यह मेघालय के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की घोर अवमानना करते हुए बंद का आह्वान करता रहा है और लोगों से बार-बार यह भी आह्वान किया गया कि वे राष्ट्रीय दिवस समारोहों में भाग न लें। एच.एन.एल.सी. के नेता बांग्लादेश में स्थित हैं जहां उन्होंने काडरों को प्रशिक्षित करने के लिए बेस कैम्प स्थापित किए हैं और जहां वे अपहरण, जबरन धन वसूली और अन्य हिंसक कृत्यों को करने के बाद भागकर आ जाते हैं। एच.एन.एल.सी. के क्रियाकलाप राष्ट्र की संप्रभु शक्ति के लिए खुली चुनौती है। यह हथियारों के प्रापण, भारत संघ की सीमाओं के उल्लंघन और भारत की

प्रादेशिक सीमाओं में और उसके बाहर अन्य प्रतिबंधित संगठनों एवं विधिविरुद्ध संगमों के साथ संपर्क बनाए रखने के कार्य में लगा हुआ है।

31. अधिनियम की धारा 2 (ण) में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलापों' को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है :-

"(ण) किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है (चाहे वह किसी कार्य या शब्दों द्वारा, मौखिक या लिखित में, या हस्ताक्षर द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा किया गया हो), - (i) "जो किसी भी आधार पर, भारत के भू-भाग के किसी हिस्से का अध्यर्पण या संघ से भारत के भू-भाग के हिस्से को विलग करने के लिए आशयित हो, या किसी ऐसे दावे का समर्थन करता हो- या जो ऐसे अध्यर्पण या विलगाव के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रेरित करता हो, या (ii) जो भारत की संप्रभुता एवं भू-भागीय अखंडता के दावे को अस्वीकार करता हो, उस पर प्रश्न उठाता हो या जो बाधित करने के लिए आशयित हो; या (iii) जो भारत के प्रति घृणा पैदा करता हो या पैदा करने के लिए आशयित हो।"

32. अधिनियम की धारा 2 (त) में 'विधिविरुद्ध संगम' को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत है:-

"(त)"विधिविरुद्ध संगम" से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है, - (i) जो अपने उद्देश्य के लिए कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करता है या किसी व्यक्ति को कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है या उसे सहायता प्रदान करता है या जिसके सदस्य ऐसे क्रियाकलाप करते हैं; या (ii) जो अपने उद्देश्य के लिए ऐसा क्रियाकलाप करता है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क या धारा 153ख (1860 का 45) के अंतर्गत दंडनीय है या जो व्यक्तियों को ऐसा कोई क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहायता प्रदान करता है या जिसके सदस्य कोई ऐसा क्रियाकलाप करते हैं"

परंतु यह कि उप-खंड (ii) में निहित कोई बात जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगी;

33. इस अधिनियम की धारा 2 (ण) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसमें उल्लिखित आधार जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि अभिव्यक्ति 'या' प्रत्येक खंड के अंत में प्रयुक्त की गई है, जब धारा 2(ण) में यथा निर्धारित कोई आधार लागू होता है तो इस पर उक्त प्रावधान लागू होगा। **बिनय कुमार चट्टोपाध्याय, ए आई आर (37) 1950 कलकत्ता 444 के संदर्भ में**, यह कहा गया है कि 'घृणा' से राजनीतिक विमुखता या असंतोष अर्थात मौजूदा सरकार के प्रति अभक्ति का भाव प्रदर्शित होता है, जिसका इरादा सरकार की आज्ञा पालन नहीं करना बल्कि उसका विरोध करना एवं उसका विध्वंस करना है।

34. **सिंथेटिक्स एवं केमिकल्स लिमिटेड तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1990) 1 एस सी सी 109 में उच्चतम न्यायालय ने 'संप्रभुता' की संकल्पना के महत्व की व्याख्या करते हुए यह कहा है** कि :-

"संप्रभु शक्ति पूर्ण होती है और ऐसी सभी चीजों को करने के लिए प्रत्येक संप्रभु राज्य में निहित होती है जो लोगों के स्वास्थ्य, शांति, नैतिकता, शिक्षा एवं उत्तम व्यवस्था को प्रोत्साहित करती हो। तथापि, संप्रभुता की शक्ति संवैधानिक सीमाओं के अध्यधीन होती है।"

35. **भारत संघ एवं अन्य बनाम सुकुमार सेनगुप्ता एवं अन्य 1990 (अनुपूरक) एस सी सी 545**, में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित कहा है –

"संप्रभुता' के प्रश्न पर, पी.जी. ओसबॉर्न के 'ए कन्साइज लॉ डिक्शनरी', 5वां अंक, पृष्ठ 297 पर हमारे समक्ष भरोसा प्रस्तुत किया गया था, जहां 'संप्रभुता' को किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में "उच्चतम प्राधिकार" के रूप में परिभाषित किया गया है, यह, अनिवार्य, अविभाज्य एवं असीमित है। तथापि, अब इस पर विभाज्य एवं सीमित दोनों के रूप में विचार किया गया है और स्वीकार किया गया है तथा हमें यह निश्चित रूप से मानना चाहिए कि इसे ऐसा होना चाहिए। संप्रभुता

सामान्य प्रतिरोध की संभावना से बाह्य रूप से सीमित होती है। आंतरिक संप्रभुता आंतरिक सभी कार्य के उपर महत्वपूर्ण शक्ति है और शक्ति की प्रकृति द्वारा ही सीमित होती है।

36. बिना खंडन किए गए साक्ष्य के विश्लेषण से पता चलता है कि एच.एन.एल.सी. के लक्ष्य और उद्देश्य तथा क्रियाकलाप 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उप धारा (ण) में परिभाषित किया गया है और इनका उद्देश्य स्वतंत्र देश बनाकर भारत संघ से मेघालय को पृथक करके देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करना है। इसलिए, एच.एन.एल.सी. के क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा हैं और यह आवश्यक है कि एच.एन.एल.सी. को अपने विघ्नकारी क्रियाकलापों को जारी रखने से रोकने के लिए इन विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाए।

37. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह पहली बार नहीं है कि यह मुद्दा इस अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। यह वर्ष 2000 से हो रहा है। एच एन एल सी को प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना को समय-समय पर गठित अधिकरण द्वारा उत्तरोत्तर रूप से सही ठहराया गया है। एच एन एल सी के क्रियाकलाप तब से बिन रूके चल रहे हैं।

38. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर तथा अपने समक्ष प्रस्तुत सभी तथ्यों, साक्ष्यों एवं केन्द्र सरकार तथा मेघालय राज्य की ओर से की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, अधिकरण की यह राय है कि एच.एन.एल.सी. ऐसे विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करती है जो भारत की प्रादेशिक अखण्डता के लिए नुकसानदायक हैं क्योंकि इसने भारत संघ से मेघालय राज्य को अलग करने के अपने उद्देश्य की स्पष्ट रूप से घोषणा कर रखी है। इसने हिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा है और यह ऐसे कृत्यों में लिप्त है जो विध्वंसक, विघ्नकारी तथा भारत की प्रादेशिक अखण्डता के लिए नुकसानदायक हैं। इसने जबरन धन वसूली और डराने-धमकाने के कृत्य करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ संबंध बनाए रखे हुए हैं। एच.एन.एल.सी. अपने काडरों के आश्रय एवं प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु पड़ोसी देश में कैम्प भी लगाता रहा है जो कि भारत की संप्रभुता और अखण्डता के लिए नुकसानदायक है। एच.एन.एल.सी. के क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 2 (ण) में यथा परिभाषित 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' के कार्यक्षेत्र और दायरे में आते हैं। परिणामस्वरूप, एच.एन.एल.सी. अधिनियम की धारा 2 (त) के अर्थ के भीतर 'विधिविरुद्ध संगम' है।

39. अत: अधिकरण की यह राय है कि यह एक विधिविरुद्ध संगम है और अधिनियम की धारा 3 (1) के अंतर्गत घोषणा, जहां तक इसका संबंध है, की पुष्टि की जानी होगी।

40. इस प्रकार, रिकॉर्ड पर लाए गए भरोसेमंद साक्ष्य के मद्देनजर, मेरी सुविचारित राय है कि एच एन एल सी को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है और तदनुसार, एच एन एल सी को 16.11.2019 से 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधित करने हेतु अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिनांक 16.11.2019 की अधिसूचना को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अंतर्गत पुष्टि किए जाने के अधीन है, तदनुसार आदेशित।

न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू, पीठासीन अधिकारी

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the, 29th May, 2020

S.O. 1684(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Mr. H.S. Thangkhiew, Judge, Meghalaya High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) of Meghalaya as Unlawful Association, is published for general information:

[F. No.11011/02/2019-NE-V(Pt.)]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

:: SHILLONG ::

IN THE MATTER OF: **HYNNIEWTREP NATIONAL LIBERATION COUNCIL OF MEGHALAYA**

Reserved on: **08.05.2020**

Date of decision: **14.05.2020**

Present: Shri S.C. Keyal, Asst. Solicitor General of India with Shri R.K. Pandey, Deputy Secretary and Shri Santosh Kumar Bhargava, Section Officer (NE), Ministry of Home Affairs, Govt. of India (*viavideo conferencing*).

Shri Amit Kumar, Advocate General for the State of Meghalaya with Shri Cyril Diengdoh, IAS, Secretary (Political Department), Shri S. Warjri, MCS, Under Secretary (Political Department), Shri H. Nongpluh, IPS, Addl. DGP (SB/ CID), Govt. of Meghalaya (*via video conferencing*).

Shri Albert W. Lanong, MJS, Registrar, Unlawful Activities (Prevention) Tribunal.

ORDER

Per H.S. Thangkhiew, (J):

1. Vide notification no. S.O. 4132 (E) dated 16.11.2019 made u/s 3(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (for short 'the Act'), the Central Government has declared Hynniewtrep National Liberation Council of Meghalaya (for short 'HNLC') as an 'Unlawful Association' with effect from 16.11.2019, inter-alia, on the grounds that HNLC has (i) openly declared its objective for secession of areas in the State of Meghalaya largely inhabited by Khasi and Jaintia tribals from India; (ii) continued intimidation and bullying of the civilian population for extortion of funds for their organization; (iii) maintained links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation; and (iv)maintained camps in Bangladesh for the purpose of sanctuary and training of their cadres.

2. Thereafter, another notification no. S.O. 797 (E) dated 21.02.2020 was issued in the Gazette of India (Extraordinary) constituting the Tribunal for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring HNLC as an unlawful association under the Act. It may not be out of place to mention, herein, that prior to said notification, an earlier notification no. S.O. 4454 (E) dated 13.12.2019 was issued in the Gazette of India (Extraordinary) constituting the Tribunal for the same purposes; however, in view of the then learned Presiding Officer expressing desire to resign from the Tribunal, instant notification dated 21.02.2020 was, thereafter, issued. Now, a reference, in this regard, in terms of section 4 (1) of the Act, was received by this Tribunal vide letter dated 26.02.2020.

3. Along with the notification, the Central Government has furnished a background note on HNLC stating, therein, the aims and objectives of HNLC; giving its 'violence profile' as also its links with underground outfits of the North Eastern region. As per the note, HNLC was formed in 1995 with the aim:

 a. of liberation of the Hynniewtrep people (Khasi and Jaintia tribals) from the alleged authoritarian rule of the Indian Government;

 b. to protect the Khasis and other Meghalaya tribes from exploitation; and

c. to retain the indigenous culture and to eradicate social evils.

4. The violence profile of HNLC, as detailed in the aforesaid note, reads as under:

a. 4 (four) incidents of violence involving killing of 1 (one) civilian during the period between 01.01.2019 and 31.07.2019;

b. arrest of 16 (sixteen) of its cadres during the said period;

c. recovery of 4 (four) weapons during the said period;

d. surrender of 14 (fourteen) of its cadres during the said period; and

e. 4 (four) persons have been kidnapped during the said period.

5. It has been, further, stated that HNLC had been extorting money from the coal belt areas of the Jaintia hills which was also being used as a transit route by the HNLC cadres for their trans-border movements across Bangladesh. The leaders of the HNLC, Bobby Marwein, self-styled Commander-in-Chief and Sainkupar Nongtraw, self-styled General Secretary, continue to operate from Bangladesh. The HNLC is estimated to have around 16 (sixteen) cadres who are presently staying in camps in Maulvi Bazar district of Bangladesh. The HNLC is assessed to have 17 (seventeen) weapons (AK series rifles-10, pistols-7) and continues to maintain operational and training links with other insurgent groups of North East.

6. On the aforenoted grounds, the Central Government formed the opinion that the activities of HNLC were detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if not curbed and controlled immediately, the said organization will regroup and rearm itself, expand its cadre, procure sophisticated weapons, cause loss of lives of civilians and security forces, and accelerate the anti-national activities.

7. Preliminary hearing was held on 26.03.2020, notice under sub-section (2) of section 4 of the Act was issued to HNLC to show-cause as to why it should not be declared an unlawful association. Notice was directed to be served on HNLC in the following manner:

a. By affixing a copy of the notification in some conspicuous part of the office(s), if any, of the Association;

b. By serving a copy of the notification, wherever possible, on the principal office-bearers, if any, of the Association;

c. By proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notification in the area in which the activities of the Association are ordinarily carried on;

d. By making an announcement over the radio from the local or nearest broadcasting station of the All India Radio;

e. By pasting the notification on the notice board of the office of the District & Sessions Judge(s) in every Judgeship and Deputy Commissioners at the respective headquarters; and

f. By publication in a national newspaper in English and in 2 (two) vernacular newspapers having wide circulation in the State of Meghalaya.

8. Affidavits of service were filed by the Central Government and State of Meghalaya categorically stating, therein, the mode and manner in which HNLC was served. It was stated in the affidavit that the HNLC are in hiding and they do not have any fixed place/ office from where they are running/ operating their organisation/outfit. Notices were served by publication in the newspapers viz. The Indian Express, Mawphor and U Nongsaiñ Hima which are circulated in the State of Meghalaya, as also by broadcasting through the Shillong Station of All India Radio, and telecast through the Doordarshan Kendra, Shillong. The notices are also stated to have been displayed on the notice boards of the Courts of the District and Sessions Judges and Deputy Commissioners' offices in the Districts of the State of Meghalaya. The reports received from the concerned District and Sessions Judges and Deputy Commissioners have been filed along with the affidavit of service of the Central Government and State of Meghalaya.

9. Despite service, no one appeared for the HNLC, therefore, it was proceeded *exparte* on 25.04.2020.

10. The State of Meghalaya adduced the evidence of the following witnesses by way of affidavit:

a. SW-1: Shri Cyril V.D. Diengdoh, IAS, Secretary (Political Department), Govt. of Meghalaya;

b. SW-2: Shri Aditya Goenka, IPS, Superintendent of Police, CID, Shillong;

c. SW-3: Smti Matsiewdor War Nongbri, IAS, Deputy Commissioner, East Khasi Hills District, Shillong;

d. SW-4: Smti C.A. Lyngwa, IPS, Superintendent of Police, East Khasi Hills District, Shillong;

e. SW-5: Smti Rosetta Mary Kurbah, IAS, Ri-Bhoi District, Nongpoh;

f. SW-6: Shri C. Syrti, MPS, Superintendent of Police, Ri-Bhoi District, Nongpoh;

g. SW-7: Shri T. Lyngwa, IAS, Deputy Commissioner, West Khasi Hills District, Nongstoin;

h. SW-8: Shri B.J. Laloo, MPS, Superintendent of Police, West Khasi Hills District, Nongstoin;

i. SW-9: Shri Garod L.S.N. Dykes, IAS, Deputy Commissioner, West Jaintia Hills District, Jowai;

j. SW-10: Shri Lakador Syiem, MPS, Superintendent of Police, West Jaintia Hills District, Jowai;

k. SW-11: Shri Fedrick M. Dopth, IAS, Deputy Commissioner, East Jaintia Hills District, Khliehriat; and

l. SW-12: Shri Vivekanand Singh, IPS, Superintendent of Police, East Jaintia Hills District, Khliehriat.

11. The Central Government has, similarly, adduced the evidence of CW-1,Shri Raj Kumar Pandey, Deputy Secretary (NE), Ministry of Home Affairs, Government of India, North Block, New Delhi, by way of affidavit.

12. Evidence of the above noted witnesses, by way of affidavit, have remained unchallenged as no one came forward on behalf of HNLC to cross-examine the witnesses.

13. In order to limit lengthy and duplicity of evidence on record, dilation on all the factual aspects, including material exhibits, as adduced by the relevant witnesses, is not deemed necessary in the circumstances and, therefore, only an outline of the relevant evidence is, hereinafter, discussed.

14. **SW-1**, Shri Cyril V. Diengdoh, IAS, has deposed that HNLC has carried out several violent attacks on government officials, security forces, members of civil society and general public during the period from 16.11.2015 and till date. He deposed that HNLC has continued its extortion activities to financially sustain the organisation and had carried out several other illegal activities during that period. He, further, deposed that it has been continuously inciting violence, fanned secessionist propaganda, communal disharmony and enmity amongst general public. In this connection, **SW-1** has, altogether, produced and placed reliance on 68 (sixty eight) material exhibits under the following categories: (i) Facebook posts; (ii) Newspaper clippings; and (iii) Complaints/FIRs registered against HNLC and its cadre as under.

14.1. In order to make the following electronic evidence admissible, **SW-1** has annexed a certificate u/s 65B of the Indian Evidence Act, 1872 and the same has been taken on record.

14.1.1. In one Facebook post dated 28.06.2015 (**Ext. 11**)made by one Shri Watbor Nongrum @ Sainkupar Nongtraw, the self-styled General Secretary and Publicity Secretary of HNLC, the HNLC has made open contempt of the orders passed by the Hon'ble High Court of Meghalaya banning publication of calls of bandh, etc. calling it a ploy of the police in an attempt to suppress people's right to freedom of speech and expression;

14.1.2. **Ext. 13** is another Facebook post dated 11.08.2015 wherein the HNLC openly acknowledged its association and common agenda with other armed militant organisations viz. United National Liberation Front of Western South East Asia, Coordination Committee and Garo National Liberation Army and issued solidarity statement alongwith these terrorist organisations and threatened the general public not to celebrate any national festival and show solidarity with the militant organisation in their fight against India which was referred as their 'common enemy';

14.1.3. **Ext. 16**, **Ext. 17** and **Ext. 18** are Facebook posts dated 18.11.2015 wherein the HNLC informed that its general secretary is not in Bangladesh, that it was putting out information about its recruitment drive and, lastly, took responsibility for the RDX bomb blast attack at Them Mawbah on 14.11.2015, respectively; and

14.1.4. In another Facebook post dated 16.05.2016 (**Ext. 23**), HNLC issued an open threat to officials of the Hon'ble High Court of Meghalaya, State Government and police personnel.

14.2. That apart, **SW-1** has also exhibited certain press releases made by the HNLC as follows.

14.2.1. It has been calling for bandhs and non-cooperation on every national day celebrations i.e., on Republic day and Independence day and such unlawful activities of HNLC were evident from the newspaper clippings exhibited as **Ext. 39** (colly);

14.2.2. In various newspaper clipping between the period 19.11.2015 and 05.03.2016 (**Ext. 41** (colly)), the HNLC had been engaging itself in all kinds of unlawful activities such as extortion and looting of civilian population, collection of funds;

14.2.3. **Ext. 45** is a newspaper clipping dated 14.02.2018 containing a news item wherein HNLC conducted blast by grenade attack at Dawki; and

14.2.4. In newspaper clippings between the period 18.05.2019 and 15.08.2019 (**Ext. 47** (colly)), HNLC had threatened all non-tribals of Meghalaya to leave the State or face massacre and mass blood-shed.

14.3. Furthermore, **SW-1** has also exhibited FIRs, case-diaries and chargesheet detailing out the activities made by HNLC as follows.

14.3.1. Copy of case diary dated 08.07.2016 maintained by the investigating officer in connection with Mawlai PS Case No. 51 (5) 2015 u/s 384/ 34 Indian Penal Code ("IPC") r/w section 10/13 Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967("UA (P) Act") (**Ext. 54**) has been annexed with the affidavit. The said FIR was registered at Mawlai Police Station wherein an HNLC cadre alongwith an over ground worker who were sent for money collection drives were arrested;

14.3.2. **Ext. 55** is a copy of FIR in Nongpoh PS Case No. 128 (5) 2014 us 120B/ 121A/ 384 IPC r/w section 5 of the Explosive Substances Act, 1908 ("ES Act") and section 6 (A) of the Meghalaya Maintenance of Public Order Act ("MMPO Act"). Said FIR has a reference to 2 (two) HNLC cadres being arrested from Ri Bhoi District registered and arms, demand notes and gun powder were recovered from them; and

14.3.3.2 (two) HNLC cadres were arrested from War Jaintia in connection with Amlarem PS Case No. 4 (2) 2016 u/s 385 IPC r/w section 10/ 13 UA (P) Act and chargesheet no.12/ 2016 dated 08.11.2016 was filed (**Ext. 59**).

15. **SW-2**, Shri Aditya Goenka, IPS, has deposed that HNLC has been involved in anti-national activities since its inception and has detailed some of their illegal activities. He, further, deposed that the HNLC's activities causes a serious threat to the sovereignty, integrity and internal security of India.

15.1. **Ext. SW-2/ 1** is a copy of written *ejahar* dated 03.03.2020 received by the Officer-in-charge of CID PS wherein a case u/s 153A/ 188/ 505 (2)/ 120B IPC r/w section 13 UA (P) Act was registered against one online news website 'The North East Now' for uploading a news bulletin wherein Shri Sainkupar Nongtraw, the self-styled general Secretary and Publicity Secretary of HNLC, had issued an ultimatum to the Hindu-Bengali community to leave Ichamati; and

15.2. Another written *ejahar* dated 15.06.2018 was received at CID PS wherein a case u/s 153/ 153A/ 505/ 506/ 507 IPC was registered to the effect that on 02.06.2018 Shri Sainkupar Nongtraw, the self-styled general Secretary and Publicity Secretary of HNLC, had posted on Facebook regarding the assault of young local boys by the Harijans and subsequent imposition of section 144 CrPC in the city of Shillong (**Ext. SW-2/ 2**).

16. **SW-3**, Smti Matsiewdor War Nongbri, IAS,has deposed that despite the last order declaring HNLC as an unlawful association in the year 2014, their illegal and nefarious activities have continued unabated. She deposed that HNLC has been engaging in raising of funds by issuing of demand notes to the business community etc. in Shillong.

17. Deposition of **SW-4**, SmtiSmti C.A. Lyngwa, IPS, is in line with the statement of **SW-2**. She has, further, proved several documents and some relevant documents are reproduced hereunder for reference.

17.1. **Ext. SW-4/ 1** is a copy of FIR no. 51 (5) 2015 u/s 384/ 34 IPC r/w section 10/ 13 UA (P) Act wherein 2 (two) members of HNLC viz. Shri John Fishal Lyngkhoi and Shri Reskin Phawa were arrested while they were on an extortion drive in the city;

17.2. **Ext. SW-4/ 2** is a copy of FIR no. 113 (11) 2015 u/s 427/ 120B/ 121 IPC r/w section 5 ES Act and section 10/ 13 UA (P) Act wherein members of the HNLC planted and exploded a crude bomb in the backyard of cantonment parking lot near Jeevan Roy Goenka Hospital, Jhalupara,

Shillong as a result of which vehicles bearing registration nos. ML05-K-5167 and ML02-0025 were partially damaged; and

17.3. Another case is wherein on 13.05.2016, on receiving a tip off, several arms and ammunitions, including detonators, live ammunitions, pistol and AK-56 rifle, were recovered from 3 (three) persons including 1 (one) belonging to ULFA cadre and 2 (two) others of HNLC. In this connection, **Ext. SW-4/ 3** is a copy of FIR No. 12 (05) 2016 u/s 120B/ 121 IPC r/w section 25 (1-b)/ 27 Arms Act r/w 10/13 UA (P) Act.

18. **SW-5**, Smti Rosetta Mary Kurbah, IAS, has deposed that the HNLC have not fully surrendered to the Government and are continuing to re-group and recruiting local youths. She deposed, based on her information, that a demand note of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only) was served by the HNLC to Dr. Celestine Lyngdoh, ex-MLA, on 09.05.2015 and a criminal case u/s 384/511 IPC was registered. She, further, deposed that 2 (two) HNLC cadres were arrested and several arms and ammunitions were recovered from them in connection with Nongpoh case no. 128 (5) 2015 u/s 120B/ 121A/ 384 IPC r/w section 10/ 13 UA (P) Act and section 25 (1A)/ (1B)(a) Arms Act and section 6A of MMPO Act.

19. **SW-6**, Shri C. Syrti, MPS, has deposed along the lines of **SW-5** and has exhibited the following documents.

19.1. **Ext. SW-6/1** is a copy of case diary maintained by the investigating officer into one criminal case u/s 384/511 IPC wherein on 09.05.2015 Dr. Celestine Lyngdoh, ex-MLA, received a demand note of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only) from the HNLC; and

19.2. **Ext. SW-6/ 2** is a copy of FIR no. 128 (5) 2015 u/s 120B/ 121A/ 384 IPC r/w section 10/ 13 UA (P) Act and section 25 (1A)/ (1B)(a) Arms Act, section 5 ES Act and section 6A of MMPO Act wherein 2 (two) HNLC cadres viz. Shri Khrawbok Marbaniang and Shri Beinis Thabah were arrested and several arms and ammunitions (1 (one) bore gun, 12 (twelve) bore ammunitions, gun powder, 1 (one) HNLC demand note and pellets) were recovered from them.

20. **SW-7**, Shri T. Lyngwa, IAS, deposed that the HNLC cadres are still engaged in procuring illegal arms and ammunition of sizeable quantity and in collection of funds by illegal means.

21. **SW-8**, Shri B.J. Laloo, MPS, has exhibited certain documents enumerating the anti-national and illegal activities carried out by HNLC as follows.

21.1. **Ext. SW-8/ 1** is a copy of FIR no. 01 (01)/18 u/s 120B/ 121A IPC r/w section 10/ 13 UA (P) Act wherein one Shri Samuel Wahlang Pahsyntiew of Laitdom Village, Mariang has been demanding money from businessmen of Mairang in the name of HNLC; and

21.2. **Ext. SW-8/ 2** is a copy of FIR no. 5 (02) 2020 u/s 447/ 435 IPC r/w section 3 ES Act wherein an IED exploded at the premise of the coke factory at Pyndeng Diengjalong, Shallang on 20.02.2020.

22. **SW-9**, Shri Garod L.S.N. Dykes, IAS, deposed that though there had not been registration of cases because of various factors including reluctance on the part of the local people to come forward and complain primarily because of fear psychosis, yet it cannot be said that HNLC is not engaging itself in unlawful activities. He has further stated that HNLC was active in West Jaintia Hills district and was indulging in extortion, intimidation and kidnapping activities.

23. **SW-10**, Shri Lakador Syiem, MPS, has exhibited certain documents enumerating the anti-national and illegal activities, including demanding huge sums of money from the civilian population, carried out by HNLC as follows.

23.1. **Ext. SW-10/ 1** is a copy of FIR no. 4 (2)/ 18 u/s 120B IPC r/w section 3 ES Act wherein on 11.02.2018 the informant's house at Dawki was partially damaged due to an explosion caused by the HNLC; and

23.2. **Ext. SW-10/ 2** is a copy of charge sheet no.155/ 16 in connection with one case u/s 386/ 34 IPC wherein 2 (two) persons viz. Shri Solomon Rymbai and Shri Krephi Suchiang were caught red handed while extorting money at Dulong, Jowai from the informant.

24. **SW-11**, Shri Fedrick M. Dopth, IAS, has deposed that HNLC had been actively operating its unlawful, nefarious and anti-social activities in East Jaintia Hills district in the State of Meghalaya. He deposed, based on his information, an HNLC cadre was arrested in connection with Khliehriat case no. 254 (6) 2015 u/s 387 IPC r/w section 10/ 13 UA (P) Act and section 5 ES Act. Also, he deposed that on 18.06.2016 4 (four) boys, all aged about 17 (seventeen) years, were suspected to be kidnapped by the HNLC and, in this connection, case u/s 120B/121/361/34 IPC were registered. That apart, another case u/s 120B/ 121/ 121A/ 387/ 506/ 34 IPC r/w section 10/ 11/ 13 UA (P) Act was registered in connection with an incident where one Shri Self Denial Lyngdoh of Sutnga Wailong Village was served a demand note of Rs. 10,000,000/- (Rupees Ten Lakhs) by the HNLC.

25. **SW-12**, Shri Vivekanand Singh, IPS, has deposed along the lines of **SW-11** and has exhibited the following documents. He has, further, deposed that case u/s 120B/121/361/34 IPC was registered in connection with the kidnapping of 4 (four) boys, all aged about 17 (seventeen) years, by the HNLC around June 2016; and

25.1. **Ext. SW-12/ 1** is a copy of charge sheet no. 254 (6) 2015 u/s 387 IPC r/w section 10/ 13 UA (P) Act and section 5 ES Act. wherein an HNLC cadre, Shri Junel Tongper, was apprehended and from his body 3 (three) SIM cards of Bangladesh and Indian make were recovered. **SW-12** further deposed that during the course of interrogation, the said HNLC cadre led them a jungle along the Indo-Bangla border wherefrom 2 (hand) grenades and demand notes were recovered; and

25.2. **Ext. SW-12/2** is a copy of FIR No. 191 (12) 2019 u/s 120B/ 121/ 121A/ 387/ 506/ 34 IPC r/w section 10/ 11/ 13 UA (P) Act wherein one Shri Self Denial Lyngdoh of Sutnga Wailong Village was served a demand note of Rs. 10,000,000/- (Rupees Ten Lakhs) by the HNLC.

26. **CW-1**, Shri Raj Kumar Pandey, Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, has deposed that the top leaders of HNLC were operating from Bangladesh. He deposed that since January 2014, the outfit has been involved in 4 (four) incidents of violence. During this period, 16 (sixteen) cadres of HNLC have been arrested, 4 (four) weapons were recovered, 14 (fourteen) of its cadres have surrendered, 4 (four) persons have been kidnapped by it and 1 (one) civilian has been killed. He further deposed that HNLC and its activists were still continuing to indulge in unlawful activities for which the organization was banned earlier and that the activities of HNLC are detrimental to the peace and internal security of the country. There is an every likelihood of the HNLC seeking to expand the scope of its secessionist, subversive, terrorist and violent activities, in case the proposed ban by the Central Government is not affirmed for the period envisaged in the notification issued under the Act. He has proved the notification no. S.O. 4132 (E) dated 16.11.2019 as **CW-1/B** apart from praying that same may be confirmed.

27. The witnesses examined on behalf of the Central Government and the State of Meghalaya have not been cross-examined as HNLC has remained *exparte*. The evidence brought on record by the Central Government and the State of Meghalaya have, therefore, remained unrebutted and unchallenged.

28. I have heard learned Assistant Solicitor General for the Union of India, learned Advocate General for the State of Meghalaya, alongwith the officials, who have, unanimously, prayed that the notification dated 16.11.2019 issued by the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Act, banning HNLC for a period of 5 (five) years with effect from 16.11.2019, be confirmed, and carefully perused the entire material placed and proved on record.

29. From the evidence adduced by the Central Government and State of Meghalaya, coupled with the materials placed, proved and produced before the Tribunal, it is established that HNLC is an organisation committed to achieve a separate or independent State for the Hynniewtrep people outside India and to that end it seeks to achieve the objective through acts of violence and unlawful activities.

30. The HNLC is undertaking clandestine trainings, raising funds through extortion and intimidation. It has been calling bandhs in utter contempt of the orders passed by the Hon'ble High Court of Meghalaya and repeated calls were also given to the people not to attend national day celebrations. Leaders of HNLC are based in Bangladesh where they have set up base camps to train cadres and where they flee after committing acts of kidnapping, extortion and other acts of violence. The activities of HNLC are an open challenge to sovereign power of the State. It is involved in procuring of weapons, infringing the borders of the Union of India and keeping their contacts with other banned organisations and unlawful associations in and outside the territorial limits of India.

31. Section 2(o) of the Act defines 'unlawful activities' which reads as under:

> *"(o) "unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words, either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise),— (i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the cession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, or which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession; or (ii) which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India; or (iii) which causes or is intended to cause disaffection against India;"*

32. Section 2(p) of the Act defines 'unlawful association' which reads as under:

> *"(p) "unlawful association" means any association,— (i) which has for its object any unlawful activity, or which encourages or aids persons to undertake any unlawful activity, or of which the members undertake such activity; or (ii) which has for its object any activity which is punishable under section 153A or section 153B of the Indian Penal Code (45 of 1860), or which encourages or aids persons to undertake any such activity, or of which the members undertake any such activity:*
>
> *Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir;"*

33. A perusal of section 2(o) of the Act makes it clear that the grounds mentioned therein are disjunctive since expression *'or'* has been used at the end of every clause; meaning thereby, even if any of the grounds as stipulated in section 2(o) is attracted, it will attract the said provision. In ***Re: Binoy Kumar Chattopadhyaya*** reported in **AIR (37) 1950 Calcutta 444**, it has been held that the word *'disaffection'* signifies political alienation or discontent, that is to say, a feeling of disloyalty to the existing Government, which tends to a disposition not to obey, but to resist and subvert the Government.

34. In ***Synthetics and Chemicals Ltd. & Ors. vs. State of U.P. & Ors.*** reported in **(1990) 1 SCC 109**, Hon'ble Supreme Court while explaining the importance of concept of *'sovereignty'* has held thus:

> *"The sovereign power is plenary and inherent in every sovereign State to do all things which promote the health, peace, morals, education and good order of the people. This power of sovereignty is, however, subject to Constitutional limitations."*

35. In ***Union of India & Ors. vs. Sukumar Sengupta & Ors.*** reported in **1990 (Supp) SCC 545**, Hon'ble Supreme Court has held as under:

> *"On the question of 'sovereignty', reliance was placed before us on 'A Concise Law Dictionary' by P.G. Osborn, 5th Edition, p. 297, where 'sovereignty' has been defined as "the supreme authority" in an independent political society. It is, essential, indivisible and illimitable. However, it is now considered and accepted as both divisible and limitable, and we must recognize that it should be so. Sovereignty is limited externally by the possibility of a general resistance. Internal sovereignty is paramount power over all action within, and is limited by the nature of the power itself".*

36. The analysis of unrebutted evidence shows that the aims and objects and the activities of HNLC constitute 'unlawful activity', as defined in sub-section (o) of section 2 of the Act, and are intended to cause a threat to the sovereignty of the country by seeking secession of Meghalaya from the Union of India by carving out an independent state. The activities of the HNLC are, therefore, a direct threat to the sovereignty and integrity of India and it is imperative that the unlawful activities be banned in order to prevent HNLC from continuing its disruptive activities.

37. It may not be out of place to point out that it is not the first time this issue is under consideration before this Tribunal. It is happening since the year 2000. Earlier notification issued declaring HNLC a banned organisation have been successively upheld by the Tribunal constituted from time to time. The activities of HNLC are going on unabated since then.

38. In view of the above discussion, and after careful consideration of all the materials, evidence placed before it, and submissions on behalf of the Central Government and the State of Meghalaya, the Tribunal is of the opinion that the HNLC carries on unlawful activities which are detrimental to, and intending to disrupt the territorial integrity of India, inspite of its ostensibly declared objective of secession of the State of Meghalaya from the Indian Union. It has not abjured violence and continues

to engage in acts that are subversive, and disruptive of, detrimental to, or acts with intention to disrupt the territorial integrity of India. It has been maintaining links with other insurgent groups of the North Eastern region for carrying out acts of extortion and intimidation. HNLC has also been maintaining camps in neighboring country for the purpose of sanctuary and training of their cadres, which is detrimental to the sovereignty and integrity of India. The activities of HNLC falls within the ambit and scope of 'unlawful activity' as defined in Section 2(o) of the Act. Resultantly, HNLC is an 'unlawful association' within the meaning of Section 2(p) of the Act.

39. Therefore, the Tribunal is of the opinion that it is an unlawful association, and the declaration, u/s 3 (1) of the Act, so far as it is concerned, has to be confirmed.

40. Thus, in view of the convincing evidence brought on record, I am of the considered view that sufficient cause exists for declaring the HNLC as an unlawful association and, accordingly, the notification dated 16.11.2019 issued by the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Act banning HNLC for a period of 5 (five) years with effect from 16.11.2019 is liable to be confirmed under sub-section (3) of section 4 of the Act, ordered accordingly.

JUSTICE H.S. THANGKHIEW, Presiding Officer,

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.29 21:39:01 +05'30'